सत्यमेव जयते

बिहार सरकार
वित्त विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2021–22

प्रतिवेदन
2021–22

कार्यक्रम
2022–23

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन
2021–22

वित्त विभाग राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन का केन्द्र है और राज्य के अन्दर एवं बाहर की वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क सूत्र है। राज्य सरकार के वित्तीय दायित्वों का निर्वहन, संसाधनों की व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग वित्तीय प्रबंधन का मौलिक उद्देश्य है।

बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार वित्त विभाग को आवंटित विषय:

1. कृषि आयकर, टैक्स, ड्यूटी, लेवी, सेस, फी इत्यादि का अधिरोपण।
2. करेन्सी, सिक्काकारी और विधि ग्राह्य मुद्रा के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
3. संघीय राष्ट्र ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले सभी संदर्भ।
4. राज्य सरकार के मुद्रणालय।
5. लेखन सामग्री एवं प्रपत्र।
6. राज्य अंकेक्षण संस्था।
7. राज्य सरकार द्वारा रूपये उधार लिया जाना और ऋण प्रदान करना।
8. राज्य का लोक ऋण।
9. वित्तीय और लेखा विषयक नियम—विनियम बनाना, संहितायें तैयार करना एवं उनका निर्वहन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वचन।
10. सरकारी सेवकों की सेवा शर्त्तें, वेतन, भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण एवं पेंशन।
11. महंगाई भत्ता।
12. पेंशन रूपान्तरण तथा अनुकम्पा अनुदान।
13. लोक सेवकों की भविष्य निधि से संबंधित कार्य।
14. (क) गाड़ी खरीदने तथा मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण की व्यवस्था।

    (ख) यात्रा, विवाह एवं अन्यान्य अग्रिम।
15. वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरण तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यर्पण।
16. अनुदान के मामले।
17. राज्य आकस्मिकता निधि।
18. वर्दी इत्यादि से संबंधित नीति विषयक मामले।
19. कार्यपालिका नियमावली के नियम—12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।
20. पद सृजन से संबंधित सभी मामले।
21. कोषागार।
22. गबन एवं क्षति।
23. कर बढ़ाना या घटाना।

24. बैंकिंग।

25. बीमा।

26. व्यापार निगमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकिंग बीमा और वित्त निगम शामिल है, किन्तु सहयोग समितियाँ नहीं।

27. राज्य वित्त आयोग।

28. वित्तीय मामलों में परामर्शीय कार्य।

29. आंतरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति।

30. आर्थिक प्रकोष्ठ/अर्थशास्त्री।

31. राजस्व संसाधनों का अनुश्रवण एवं समीक्षा।

32. लोक उपक्रम का समन्वय एवं नियंत्रण।

33. साधन श्रोत एवं राजस्व बढ़ोतरी संबंधी सभी मामले।

34. प्रशासी पदवर्ग समिति।

35. विदेशी सहायता से संबंधित सभी योजनाओं, केन्द्रीय चलित योजनाओं तथा केन्द्रीय संपोषित योजनाओं का सूत्रीकरण, गठन एवं अनुश्रवण।

36. राज्य सरकार के सभी विभागों से संपर्क स्थापित कर "प्रोजेक्ट तथा स्कीमों" को तैयार करना (अग्रिम प्रोजेक्ट सहित)।

37. सांस्थिक वित्त संस्थाओं जैसे बैंक, आई०डी०बी०आई०, नाबार्ड इत्यादि से संपर्क रखना, सांस्थिक वित्त से संबंधित सभी प्रोजेक्ट तथा स्कीम का समन्वय तथा मॉनीटरींग।

38. राष्ट्रीय बचत योजना।

संगठनात्मक स्वरूप

उपर्युक्त दायित्वों के निर्वहन के लिए वित्त विभाग का एक विशिष्ट संगठनात्मक ढांचा है, जिसके अन्तर्गत सचिवालय एवं अधीनस्थ निदेशालय दोनों हैं। वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा **परिशिष्ट–I** पर अवलोकनीय है।

वित्त विभाग में सम्पादित होने वाले कार्यों को निम्नांकित प्रमुख प्रभागों में बाँटा गया है:

(क) बजट, स्कीम एवं आयोजन प्रभाग

1	बजट एवं स्कीम तथा अर्थोपाय प्रशाखाएँ	2	वित्त आयोग प्रकोष्ठ
3	ई–गवर्नेस कोषांग	4	आर्थिक विश्लेषण प्रकोष्ठ
5	आयोजन शाखा	6	सांस्थिक वित्त
7	लोक उद्यम ब्यूरो	8	राष्ट्रीय बचत

(ख) स्थापना, लेखा एवं निगरानी प्रभाग

1	स्थापना प्रभाग	2	लेखा प्रभाग
3	निगरानी प्रभाग	4	अंकेक्षण प्रभाग

(ग) परामर्श प्रभाग

1	प्रशाखा–3	2	प्रशाखा–3ए / 3बी
3	भविष्य निधि प्रशाखा एवं ग्रुप बीमा	4	प्रशाखा–4
5	पेंशन प्रशाखा		

(घ) सेवा प्रभाग

1	वेतन निर्धारण कोषांग	2	वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग
3	अग्रिम प्रशाखा	4	सूचना का अधिकार एवं जनशिकायत कोषांग

(ड़) विधायी एवं विधि प्रभाग

1	प्रशाखा–20 (संसूचन एवं विधायी शाखा)	2	विधि कोषांग

(च) अन्य प्रभाग

1	GeM Portal	2	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2021–22 की उपलब्धियाँ

1. बजट, स्कीम एवं अर्थोपाय

वित्त विभाग में बजट एवं स्कीम शाखा की अहम् भूमिका है। इसके द्वारा आय–व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों से संबंधित कार्य, विभिन्न विभागों से प्राप्त प्राप्तियों एवं व्यय के अनुमानित आंकड़ों एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य, जैसे संसाधन अनुमान की व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियों का निर्धारण से संबंधित कार्य संपादित होते हैं। वित्त विभाग अपने इस प्रभाग के माध्यम से अपना कार्य–कलाप आय–व्ययक प्रस्तुतीकरण तथा विनियोग विधेयक पारित कराने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास, नियोजन, संसाधन आदि से संबंधित नीति निर्धारक तत्वों पर नियंत्रण रखकर राज्य के समस्त आर्थिक विकास में सहयोग की जिम्मेवारी का भी निर्वहन करता है। विशिष्ट उद्देश्यों, कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों पर विशेष प्रकाश डालना और वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों की समीक्षा करना बजट का प्रमुख प्रयोजन है।

अर्थोपाय शाखा द्वारा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों एवं राज्य के आंतरिक ऋण से प्राप्ति एवं वापसी का अनुश्रवण कार्य किया जाता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund) के अन्तर्गत नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने तथा ऋण का उपभोग कर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित है, जो नाबार्ड से प्राप्त होनेवाली परियेाजनाओं हेतु ऋण स्वीकृति एवं अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा करती है।

बजट एवं स्कीम प्रशाखाओं के द्वारा राज्य के सामान्य आर्थिक प्रबंधन की भी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं के लाभ एवं लागत की समीक्षा की जाती है। बजट एवं स्कीम शाखा द्वारा विभागों की स्कीमों की स्वीकृति से संबंधित कार्यों तथा नीतिगत निर्णय लेने से संबंधित परामर्श दिया जाता है। प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत होने के पूर्व स्कीमों की समीक्षा के क्रम में योजनाओं के लाभ एवं लागत के अनुपात में उनके उत्पादक एवं अनुत्पादक होने की स्थिति पर विचार किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार विभागों को समुचित परामर्श दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं–

- ✧ बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व घटा 11,325 करोड़ रूपए तथा राजकोषीय घाटा 29,827 करोड़ रूपए का रहा है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6,18,628 करोड़ रूपए का 4.82 प्रतिशत है, जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के राजकोषीय घाटे की 5 प्रतिशत की निर्धारित अधिसीमा में है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व बचत 9,196 करोड़ रूपए तथा राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रूपए अनुमानित है जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद 7,57,026 करोड़ रूपए का 2.97 प्रतिशत है।
- ✧ राज्य में त्वरित विकास हो रहा है। राज्य की योजना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महालेखाकार कार्यालय के प्रतिवेदन के अनुसार स्कीम व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 में 63,405 करोड़ रूपये हुआ है। वर्ष 2021–22 में स्कीम आकार 1,00,519 करोड़ रूपए का है।
- ✧ राज्य का कर–राजस्व में वर्ष 2020–21 में 30,342 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2021–22 में 35,050 करोड़ रूपये राज्य के कर राजस्व का अनुमान किया गया है।
- ✧ राज्य का गैर कर–राजस्व में वर्ष 2020–21 में 6,201 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2021–22 में 5,505 करोड़ रूपये गैर कर राजस्व का अनुमान किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.74 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 7.79 प्रतिशत का अनुमान किया गया है।
- वर्ष 2020–21 के अंत में कुल लोक ऋण 1,77,215 करोड़ रूपए का है।
- वर्ष 2020–21 की अवधि में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक से न तो अर्थोपाय अग्रिम और न ही ओवरड्राफ्ट लिया गया।

2. वित्त आयोग प्रकोष्ठ

यह प्रकोष्ठ केन्द्र सरकार द्वारा गठित वित्त आयोग को बिहार राज्य की ओर से समर्पित किए जाने वाला ज्ञापन/आंकड़े तैयार करता है। केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं की स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन की मोनिटरिंग करता है। केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से ली गई समस्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजता है। इसके अलावे, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा कार्यान्वित करने तथा Rural Infrastructure Development Fund/Warehousing Infrastructure Fund संबंधी कार्यों का दायित्व भी वित्त आयोग प्रकोष्ठ द्वारा निर्वहन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–II** एवं केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित सूचना **परिशिष्ट–III** पर अवलोकनीय है।

3. ई–गवर्नेंस कोषांग/CFMS एवं कोषागार

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना CFMS प्रणाली को दिनांकः 01.04.2019 से लागू किया गया है। इसके द्वारा राज्य का संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑनलाईन एवं पेपरलेस हो गया है। CFMS लागू हो जाने के बाद बजट निर्माण, आवंटन तथा प्रत्यर्पण कार्य ऑनलाइन हो गया है। ससमय आवंटन उपलब्ध होने से भुगतान ससमय हो रहा है। सरकारी कार्यालयों को कोषागार से राशि निकासी हेतु कोषागार नहीं जाना पड़ रहा है। पेपरलेस विपत्र तैयारी के कारण कागज की खपत में कमी आयी है। कोषागार की कार्यप्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन हो गयी है। CFMS के द्वारा सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kuber Portal से e-Payment के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी कर्मियों, संवेदकों एवं वेंडरों को बिना कार्यालय गये उनके खाते में भुगतान हो रहा है तथा उनके मोबाईल पर SMS से सूचना भी प्राप्त हो रही है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। अन्य Modules को भी CFMS 2.0 में वित्तीय वर्ष 2022–23 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है।

सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने के लिए Online Government Revenue and Accounting Management System (O-GRAS) कार्यरत है। इसके लिए ई–कोषागार की स्थापना की गई है। इसके द्वारा करदाता एवं आम आदमी कहीं से और कभी भी राज्य सरकार के खाते में राशि जमा कर सकते हैं। सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति से संबंधित सभी विभागों के लिये O-GRAS लागू कर दिया गया है।

PFMS- CSS के नए दिशा–निर्देश के तहत सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए SNA (Single Nodal Agency) नामित किया गया है एवं Single Nodal Account खोला गया है तथा इसे PFMS Portal पर Mapping किया गया है।

डी०बी०टी० एवं कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल– राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आम लाभुकों को उनके बैंक खाते में राशि का भुगतान वर्ष 2016 से किया जा

रहा है। इसलिए लाभुकों के द्वारा आवेदन करने, विभागों द्वारा सत्यापन एवं चयन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक परिवार को प्राप्त होने वाली सरकारी लाभ की सूचना प्राप्त करने हेतु सभी विभागों के सभी योजनाओं के लाभुकों के निबंधन हेतु एक ''कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल'' विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल का नोडल विभाग होगा।

सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पर निबंधन परिवार केन्द्रित होगा। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से परिवार को किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में भुगतान की गयी राशि की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इससे राज्य सरकार को भविष्य के लिए वित्तीय भार का आकलन करने तथा कल्याणकारी नीति निर्धारण में सुविधा होगी।

4. स्थापना

इस प्रभाग के अन्तर्गत वित्त विभाग एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मियों का प्रबंधन तथा स्थापना का कार्य किया जाता है।

5. अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2021–22 में माननीय मंत्रीगणों, विधायकों एवं सरकारी सेवकों को गृह निर्माण, वाहन, कम्प्यूटर आदि क्रय के लिए दिये गये अग्रिमों का विवरण निम्नवत् है :–

i. माननीय मंत्री इत्यादि को मोटरकार अग्रिम के रूप में कुल बजट ₹6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये) प्राप्त है, जिसके विरूद्ध दिनांकः 17.02.2022 तक व्यय राशि ₹60,00,000.00 (साठ लाख़ रूपये) है एवं शेष राशि ₹5,40,00,000.00 (पाँच करोड़ चालीस लाख रूपये) है।

ii. माननीय विधान मंडल सदस्यों को मोटरकार अग्रिम के रूप में कुल बजट ₹12,00,00,000.00 (बारह करोड़ रूपये) प्राप्त है, जिसके विरूद्ध दिनांकः 17.02.2022 तक व्यय राशि ₹7,96,65,680.00 (सात करोड़ छियानवे लाख पैसठ हजार छः सौ अस्सी रूपये) है एवं शेष राशि ₹4,03,34,320.00 (चार करोड़ तीन लाख चौतीस हजार तीन सौ बीस रूपये) है।

iii. राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम के रूप में कुल बजट ₹22,00,00,000.00 (बाईस करोड रूपये) प्राप्त है, जिसके विरूद्ध दिनांकः 17.02.2022 तक व्यय राशि ₹21,75,58,500.00 (एकीस करोड़ पचहतर लाख अनठावन हजार पाँच सौ रूपये) एवं शेष राशि ₹24,41,500.00 (चौबीस लाख एकतालीस हजार पाँच सौ रूपये) है।

iv. अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को गृह निर्माण/वृहद्दीकरण अग्रिम के रूप में कुल बजट ₹1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) प्राप्त है, जिसके विरूद्ध दिनांकः 17.02.2022 तक व्यय राशि शून्य है।

v. राज्य सरकार के कर्मियों/पदाधिकारियों को कम्प्यूटर अग्रिम के रूप में कुल बजट ₹1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) है, जिसके विरूद्ध दिनांकः 17.02.2022 तक व्यय राशि ₹7,79,000.00 (सात लाख उनासी हजार रूपये) एवं शेष राशि ₹92,21,000.00 (बानवे लाख एकीस हजार रूपये) है।

6. परामर्शी प्रभाग

परामर्शी प्रभाग (प्रशाखा–3) के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि का विनियमन (180 दिनों से अधिक), मानदेय, प्रतिनियुक्ति, विभिन्न प्रकार के अवकाश संबंधी

महत्वपूर्ण विषयों में परामर्श देने के कार्य किये जाते है। दिनांकः 16.08.2021 के बाद इस प्रशाखा द्वारा ₹10,00,000/— (दस लाख रुपये) से उपर की राशि के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव पर अभिलेखों के आधार पर सहमति दी जाती है।

प्रशाखा—3ए/3बी के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, वेतन विसंगति, वेतन संरक्षण, वेतन पुनरीक्षण, वेतनमान/भत्ता निर्धारण एवं सेवा शर्त से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में परामर्श दिया जाता है। उक्त विषयों से संबंधित विभिन्न न्यायिक वादों के संदर्भ में न्यायालय में विभागीय पक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशाखा द्वारा विभिन्न विभागों से प्रशासनिक आवश्यकतानुसार पद सृजन/वाहन क्रय के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ/स्वीकृति हेतु प्राप्त मामलों में कार्रवाई की जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श देते हुए संचिका संबंधित विभाग को वापस की जाती है।

प्रशाखा—4 द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के प्रावधानों के आलोक में लंबित उपयोगिता/डी०सी० विपत्र के विरूद्ध राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण दिये जाने, पी०डी० खाता में व्ययगत राशि को पुनर्जीवित करने, प्रशासी विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार/सोसाईटी एवं नगर परिषद्/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के लिए पी०एल० खाता खोलने, सिविल डिपॉजिट से निकासी की स्वीकृति दिये जाने, सरकारी विभागों के लिए बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दिये जाने, प्रथम स्थापना के लिए निकासी एवं व्ययन प्राधिकार निर्गत करने एवं अग्रिम वेतन दिये जाने के संबंध में परामर्श दिया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के प्रावधानों के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दिये जाने, अपलेखन किये जाने, विभागों द्वारा सामग्रियों का क्रय/सेवाओं की अधिप्राप्ति/निविदा किये जाने एवं कोषागार से गबन/दुर्विनियोग से संबंधित मामलों में परामर्श दिया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 में संशोधन संबंधी कार्य भी प्रशाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित किये जाने, विभागों के लिए दूरभाष की अनुमान्यता के संबंध में तथा बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच लंबित पेंशन दायित्वों के बंटवारे से संबंधित परामर्श भी इस शाखा द्वारा दिया जाता है।

पेंशन शाखा (प्रशाखा—27) पुरानी पेंशन, नई पेंशन योजना, ग्रुप बीमा एवं सामान्य भविष्य निधि नियमावली के प्रसंग में परामर्शी शाखा है। इस प्रशाखा में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन/उपादान संबंधी मामलों में सरकार का निर्णय संसूचन संबंधी कार्य, राज्य कर्मियों के सेवा में टूट तथा पेंशन प्रयोजनार्थ पूर्व की सेवा की गणना संबंधी प्रशासी विभागों के प्रस्ताव में सहमति/परामर्श संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। नई पेंशन योजना से संबंधित परामर्श एवं इसके अंतर्गत नियुक्त कर्मियों का निबंधन संबंधी कार्य भी इसी प्रशाखा से किया जाता है। NSDL, मुम्बई से प्राप्त डाटा के अनुसार नई पेंशन योजना के अंतर्गत दिनांकः 17.02.2022 तक कुल 1,94,319 कर्मी निबंधित हैं। वित्त विभागीय संकल्प सं०—435 दिनांकः 27.07.2020 द्वारा कोविड—19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्त्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत्त सरकारी सेवकों के आश्रित को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसे वित्त विभागीय संकल्प सं० — 273 दिनांकः 03.05.2021 द्वारा 30.09.2021 तक विस्तारित किया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं०—109 दिनांकः 08.02.2022 द्वारा पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा में शामिल पूर्णरूपेन आश्रित माता पिता की आय सीमा उनके पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किय जाने का प्रावधान किया गया है।

7. भविष्य निधि निदेशालय

वित्तीय वर्ष 2020–21 में e-GPF Module पर अंशदाताओं के भविष्य निधि खाता में समुचित लेखा को संधारित करने के निमित्त पूर्व से कार्यरत e-GPF Software के स्थान पर CFMS 2.0 के अंतर्गत e-GPF का नया Module निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु TCS Team के साथ विविध बैठक की गयी है।

GeM Portal System के क्रियान्व्यन के उपरांत कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री की खरीदारी पूर्णरूपेण GeM Portal के माध्यम से ही की जा रही है।

सेवानिवृत हो रहे अंशदाताओं को उनके सेवानिवृति वाले माह में अंतिम निकासी हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांकः 17.02.2022 तक 12,784 सेवानिवृत कर्मियों का प्राधिकार पत्र एवं 1,17,635 कार्यरत अंशदाताओं का अद्यतन लेखा पूर्जा निर्गत किया जा चूका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम तीन माह के अंदर कार्यरत कर्मियों का अद्यतन लेखा निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर–19) से दिसम्बर–2021 तक का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य कराया गया है। e-Office के क्रियान्व्यन के तहत संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ है।

8. मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय

राजकीय प्रेस गुलजारबाग एवं गया के आधुनिकीकरण एवं क्षमता संवर्धन हेतु आधुनिक प्रिंटिंग मशीन एवं उपस्कर की आपूर्त्ति एवं स्थापना की जा रही है।

वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–2977, दिनांकः 16.04.2018 द्वारा बेलट्रॉन के माध्यम से प्रेस के आधुनिकीकरण हेतु तकनीकी पहलुओं के साथ अन्य पहलुओं पर विशेषज्ञ की सलाह एवं सुझाव हेतु एक विशेषज्ञ परामर्शदात्री एजेन्सी KPMG Advisory Services Private Ltd., Gurgaon को नियुक्त किया गया है। एजेन्सी द्वारा दोनों प्रेस (सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना तथा प्रेस एवं फॉर्म्स, गया) के आधुनिकीकरण से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है जिस पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए बेलट्रॉन मार्जिन@7% के साथ कुल राशि– ₹2,08,32,900.00 (दो करोड़ आठ लाख बत्तीस हजार नौ सौ रूपये) परामर्शी हेतु तीन वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–2021 में भुगतान किया जाना है। वित्त विभाग के आवंटनादेश सं०–9483 दिनांकः 24.12.2018 द्वारा ₹50,00,000.00 (पचास लाख रूपये) का आवंटन निर्गत किया गया है तथा वित्तीय वर्ष–2019–20 में सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना के लिए विषय शीर्ष–52 01 मशीन एवं उपस्कर कार्यालय मद में ₹11.00 करोड़ (ग्यारह करोड़ रूपये) एवं विषय शीर्ष–28 03 कन्सल्टेंसी मद में ₹1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपये) तथा प्रेस एवं फॉर्म्स, गया के लिए विषय शीर्ष–52 01 मशीन एवं उपस्कर कार्यालय मद में ₹5.50 करोड़ (पांच करोड़ पचास लाख़ रूपये) मात्र का बजट उपबन्ध है।

9. सांख्यिक वित्त निदेशालय

बैंकों द्वारा वित्तीय वर्श 2021–22 की द्वितीय तिमाही तक CD Ratio तथा ACP का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बेहतर प्रयास किया गया है। वार्षिक साख योजना के लक्ष्य को हासिल करने एवं CD Ratio को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने हेतु बैंकों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में निदेश दिया गया है।

बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु हर वर्ष प्रत्येक त्रैमास में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आहूत की जाती है। सितम्बर, 21 के त्रैमास की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 79वीं बैठक 05.01.2022 को माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी बैंकों के कार्यों की समीक्षा की गयी।

30 सितम्बर, 2021 को बैंकों का कुल जमा ₹3,98,173 करोड़ और कुल ऋण ₹1,81,018 करोड़ था। इस प्रकार बैंकों का साख–जमा अनुपात (CD Ratio) 47.71 प्रतिशत रहा है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD Ratio से 4.3 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) वार्षिक साख योजना (ACP) के इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य ₹1,61,500 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि ₹72,261 करोड़ हुई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 44.74 प्रतिशत है।

वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) निर्धारित लक्ष्य 8,75,000 के विरूद्ध 87,835 नये किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं, जो लक्ष्य का 10.04 प्रतिशत है।

मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) 8,79,845 लाख खाताधारियों के विरूद्ध ₹6,841 करोड़ ऋण वितरण हेतु स्वीकृत किया गया है एवं ₹5,792 करोड़ वितरित किया गया हैं।

वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 12.80 लाख खातों में ₹305 करोड़ जमा हैं। 30.09.21 तक राज्य में समेकित रूप से 546.81 लाख जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें ₹16,654 करोड़ की राशि जमा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) 16.89 लाख नये पंजीकरण (enrolments) किये गये हैं। सितम्बर' 21 तक राज्य में समेकित रूप से 165.12 लाख पंजीकरण किये जा चुके हैं। इस बीमा योजना में सितम्बर, 21 तक 4,417 दावे प्राप्त हुए एवं 3,642 दावों का निष्पादन किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) 4.98 लाख नये पंजीकरण (enrolments) हुए हैं। सितम्बर' 21 तक इस योजना में राज्य में समेकित रूप से 80.87 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है। इस अवधि तक 9,406 दावे प्राप्त हुए एवं 7,959 दावों को निष्पादन किया गया है।

वर्ष 2021–22 (द्वितीय तिमाही सितम्बर, 21 तक) अटल पेंशन योजनान्तर्गत 2.74 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में सितम्बर, 21 तक समेकित रूप से 27.53 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

30.09.2021 को राज्य में 7,662 बैंक शाखाएँ, 29,994 BC Agents, 6,602 ATMs तथा 74,071 PoS Machine कार्यरत हैं। इस तारीख तक कुल 6.81 करोड़ ATM Cards निर्गत हुए हैं।

राज्यवासियों के बीच डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद के 100 प्रतिशत बैंक में जमा खातों के डिजिटलाईजेशन के बाद अब अरवल तथा भोखपुरा जिलों को इसके लिए चुना गया है। यहाँ बैंक शाखाओं द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अरवल में बचत खाताओं के लगभग 83 प्रतिशत ग्राहकों और शेखपुरा में 76 प्रतिशत ग्राहकों को लेन–देन के लिए डिजिटल प्लेटफार्म मुहय्या करा दिया गया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं।

राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो लोगों के बीच कैंप लगाकर वित्तीय जागरूकता पैदा कर रहे हैं। गत दो तिमाहियों में ऐसे कुल 9,005 कैंप लगाए गए हैं।

राज्य के सभी 38 जिलों में बैंकों द्वारा चलाए जा रहे ''ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों'' द्वारा 153 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 4,270 इच्छुक स्वरोजगारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांकः 07.10.2021 को हुई। इसमें राज्य में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा की गयी।

बैंक ऋणों की वसूली के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ से दो बैठकें की गई और यथोचित निदेश दिये गये।

10. लोक उद्यम ब्यूरो

9 प्रशासी विभागों के अन्तर्गत 14 निगम (अनुषंगी कंपनियों सहित) एवं बेल्ट्रॉन की 2 अनुषंगी कंपनियाँ अकार्यरत है। अकार्यरत निगमों के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं शेष बचे कर्मियों का विभिन्न सरकारी विभागों में समायोजन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–52, दिनांकः 14.03.2018 निर्गत है।

अकार्यरत निगमों के सेवानिवृत/मृत कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के निगम में सेवाकाल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के समायोजन के पूर्व की देयता के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना से संकल्प संख्या–132 दिनांकः 20.06.2018 निर्गत है। वित्त विभाग के उक्त संकल्प का ससमय एवं न्यायपूर्ण कार्यान्वयन की कार्रवाई वित्त विभाग के मार्गदर्शन में निगमों के संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से किया जा रहा है।

11. GeM Portal

प्रशाखा–04 द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के प्रावधानों के आलोक में लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/डी०सी० विपत्र के विरूद्ध राशि की निकासी हेतु शिथिलीकरण आदेश दिये जाने, पी०डी० खाता में व्ययगत राशि को पुनर्जीवित करने, प्रशासी विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार/सोसाईटी एवं नगर परिषद/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र के लिए पी०एल० खाता खोलने, सिविल डिपॉजिट से निकासी की स्वीकृति दिये जाने, सरकारी विभागों के लिए बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दिये जाने, प्रथम स्थापना के लिए निकासी एवं व्ययन प्राधिकार निर्गत करने एवं अग्रिम वेतन दिये जाने के संबंध में परामर्श प्रदान किया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 के प्रावधानों के आलोक में स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दिये जाने, अपलेखन किये जाने, विभागों द्वारा सामग्रियों का क्रय/सेवाओं की अधिप्राप्ति/निविदा किये जाने एवं कोषागार से गबन/दुर्विनियोग से संबंधित मामलों में परामर्श दिया जाता है।

बिहार वित्त नियमावली, 1950 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 में संशोधन संबंधी कार्य भी प्रशाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागों के लिए दूरभाष के अनुमान्यता के संबंध में, बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच लंबित पेंशन दायित्वों के बंटवारे से संबंधित परामर्श भी इस प्रशाखा द्वारा दिया जाता है। इस क्रम में वर्ष 2021 में रांची में संपन्न उच्चस्तरीय बैठक में वित्त विभाग, बिहार, पटना की ओर से प्राधिकृत वरीय पदाधिकारी ने भी भाग लिया।

सम्प्रति प्रभावी कोषागार संहिता (बिहार कोषागार संहिता, 2011) को वर्त्तमान परिपेक्ष्य में ज्यादा सरल, व्यवहारिक एवं समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के अनुरूप बनाने के उद्धेश्य से नई कोषागार संहिता यथा, बिहार कोषागार संहिता, 2022 का गठन प्रक्रियाधीन है।

लोक अधिप्राप्ति से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने तथा आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ निष्पक्ष एवं लोक अधिप्राप्ति में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

भारत सरकार के Online Portal GeM से सामग्रियों / सेवाओं की अधिप्राप्ति सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में अनिवार्य रूप से की जा रही है एवं राज्य के सभी जिलों को भी यथा संभव GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति आवश्यकतानुसार किये जाने का निदेश दिया गया है।

2. लोक अधिप्राप्ति सरकारी क्रियाशीलता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लोक अधिप्राप्ति में सुधार को प्राथमिकता दिया गया है। सरकारी विभागों / कार्यालयों द्वारा GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति का निर्णय महत्वपूर्ण एवं साहसी कदम है। GeM पूरी तरह से Paperless, Cashless, Contactless ई–मार्केटिंग सिस्टम है जो सामान्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं को न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।

3. GeM Portal पर सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति से सरकारी विभागों, विक्रेताओं / आपूर्तिकर्त्ताओं को निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित हुआ हैः–

- **पारदर्शिता–** Government e-marketplace (GeM) विक्रेता के पंजीकरण, क्रयादेश एवं भुगतान प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है। GeM सरकार के साथ कारोबार करने वाले सभी इच्छुक विक्रेताओं / आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ समरूप व्यवहार करता है। GeM Portal पर क्रय के क्रम में प्रत्येक स्तर पर क्रेता विभाग एवं आपूर्तिकर्त्ता को SMS द्वारा सूचित किया जाता है।
- क्रेता विभागों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्त्ति सुनिश्चित हुई है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में निविदा के प्रकाशन में होने वाले व्यय / लागत की बचत हुई है।
- समय पर भुगतान–राज्य में GeM Portal से क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत आई०सी०आई०सी०आई० बैंक में State GeM Pool Account (SGPA) खाता खोला गया है ताकि क्रेता द्वारा विक्रेताओं / आपूर्तिकर्त्ताओं को ससमय भुगतान किया जा सके।
- स्थानीय विक्रेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की गई है।
- समय की बचत– GeM Portal पर कम समय में सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्त्ति सुनिश्चित हुई है।

4. वित्त विभाग में प्रतिनियुक्त GeM के प्रतिनिधि द्वारा राज्य के सभी विभागों / कार्यालयों एवं जिला कार्यालयों में उनसे प्राप्त अनुरोध के आलोक में GeM Portal पर निबंधन एवं क्रय के संबंध में समय–समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। साथ ही राज्य में अवस्थित स्थानीय विक्रेताओं / सेवा प्रदत्ताओं को भारत सरकार के Online Portal Government e-Market Place (GeM) में निबंधन कराने के लिए प्रेरित किये जाने हेतु बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चैम्बर्स ऑफ कामर्स के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में GeM के प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है।

12. राष्ट्रीय बचत

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में संग्रहित राशि उसी राज्य को विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु रियायती दर पर ऋण स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत राशि संग्रहण में बढ़ोतरी हेतु जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा जिलावार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और माहवार उपलब्धि की समीक्षा राज्य स्तर पर निरंतर की जाती है। इस कार्य को सुगमतापूर्वक निष्पादित करने हेतु भारत सरकार के डाक विभाग के राज्यस्तरीय वरीय

अधिकारियों के साथ भी त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में शुद्ध संग्रहण लक्ष्य ₹6,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2021 तक ₹4,821.81 करोड़ अर्थात् कुल लक्ष्य का 80.3 प्रतिशत हासिल किया गया है जो गत वर्ष के समान अवधि की उपलब्धि से 21.29 प्रतिशत अधिक है।

13. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ दिनांकः 15.07.2018 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में दिनांकः 26.02.2022 तक प्राप्त कुल 1,99,527 आवेदनों में से 1,59,135 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें ₹42,80,31,36,869.00 की राशि निहित है। इन स्वीकृत आवेदनों में से कुल 1,34,914 आवेदकों को ₹22,16,80,32,818.00 की राशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजना के अंतर्गत दिनांकः 26.02.2022 तक प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत एवं ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत है :

प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (रू0 में)	नए वितरित आवेदन		आगामी भुगतान संबंधित आवेदन		कुल वितरित राशि (रू0 में)
			संख्या	वितरित राशि	संख्या	वितरित राशि	
66,361	49,295	14,07,70,44,252.00	30,840	3,45,30,68,195.00	38,093	3,18,21,90,957.00	6,63,52,59,152.00

14. अंकेक्षण निदेशालय

अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक संवर्ग के मूल कोटि के 370 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग को पत्रांक–291 दिनांकः 10.06.2021 के द्वारा अधियाचना प्रेषित की गई है।

सामान्य अंकेक्षण के अंतर्गत दिनांकः 28.02.2022 तक कुल 63 कार्यालयों/विभागों के लेखा का अंकेक्षण कार्य संपादित किया गया है। अंकेक्षण निदेशालय के अंतर्गत दिनांकः 28.02.2022 तक सामान्य अंकेक्षण के कुल 30 अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए गए हैं।

राज्य के पंचायती राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के निर्देश के आलोक में अनुदान के पूर्व लेखा वर्ष 2020–21 के शत प्रतिशत ईकाईओं का अंकेक्षण करने की शर्त्त रखी गई है। इसके आलोक में स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय द्वारा प्रथम चरण में 1,033 ईकाईओं का अंकेक्षण संपन्न कर लिया गया है और 303 प्रारूप प्रतिवेदन निर्गत किए जा चुके हैं। द्वितीय चरण में 7,137 ग्राम पंचायत ईकाई, 38 जिला परिषद् एवं 532 पंचायत समिति ईकाईओं का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांकः 30.06.2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 का प्रस्तावित कार्यक्रम

- बिहार राज्य राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन) परियोजना– वित्तीय वर्ष 2022–23 में ''CFMS प्रोजेक्ट'' के लिए ₹50.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा गर्दनीबाग में वित्त विभाग के सभी निदेशालयों के लिए संयुक्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस मद में ₹1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब हेतु भवन निर्माण विभाग की मांग में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- गुलजारबाग प्रेस के आधुनिकीकरण कार्य प्रस्तावित है एवं इसके लिए ₹10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- भवन निर्माण विभाग की मांग में वित्त विभाग के कार्यालयों के भवनों के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए ₹13.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए गठित एजेंसी बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि० को ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹709.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय प्रशासनिक सुधार एवं विकास के लिए ₹17.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट–I

वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा

वित्त मंत्री के नेतृत्व में वित्त विभाग की संरचना एवं ढांचा निम्न प्रकार है:

राजपत्रित	क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल
भारतीय प्रशासनिक सेवा	1	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव	1
	2	सचिव (संसाधन)	1
	3	सचिव	1
	4	विशेष सचिव	1
	5	अपर सचिव	1
	6	संयुक्त सचिव	1
बिहार प्रशासनिक सेवा	1	विशेष सचिव	1
	2	अपर सचिव	1
	3	संयुक्त सचिव / निदेशक	7
	4	उप सचिव	1
बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा	1	संयुक्त बजट नियंत्रक	5
	2	संयुक्त आयुक्त, वित्तीय प्रशासन	4
	3	उप बजट नियंत्रक–सह–उप सचिव	5
	4	उपायुक्त, वित्तीय प्रशासन	6
	5	उप निदेशक, कोषागार एवं लेखा	2
	6	उप निदेशक, जी०पी०एफ०	2
	7	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1
	8	अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव	6
	9	सहायक निदेशक, कोषागार एवं लेखा	2
	10	सहायक आयुक्त, जी०पी०एफ०	2
	11	लेखा पदाधिकारी	5
	12	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार	1

राजपत्रित	क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल
बिहार सचिवालय सेवा	1	संयुक्त सचिव	2
	2	उप सचिव	9
	3	अवर सचिव	24
	4	प्रशाखा पदाधिकारी	69
अन्य	1	निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	1
	2	बैंकिंग एक्सपर्ट	3
	3	प्रणाली विश्लेषक	1
	4	विधि परामर्शी	1
अराजपत्रित	1	समूह–ख	293
	2	समूह–ग	161
	3	समूह–घ (सम्प्रति समूह–ग)	233

परिशिष्ट–II

राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद–243 (I) सह–पठित 243 (Y) के अनुपालन तथा बिहार राज्य पंचायत अधिनियम–2006 की धारा–168 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम–2007 की धारा–71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं.–1835 दिनांकः 20.02.2019 द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था।

आयोग द्वारा अप्रैल, 2021 में अपना अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। आयोग द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक के लिए है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन को अंगीकृत करते हुए वित्त विभागीय संकल्प सं.–5164 दिनांकः 13.08.2021 द्वारा लागू किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनुशंसा में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें जो वित्तीय वर्ष 2015–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है, के अनुरूप राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किये जाने संबंधी निदेश जारी किए गए हैं। शेष वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2024–25 तक स्थानीय निकायों के बीच राशि का हस्तांतरण निम्नवत किये जाने का प्रावधान किया गया हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2021–22 हेतु स्थानीय निकायों के लिए राशि

(राशि करोड़ रूपये में)

निकाय (%)	देय Devolution की राशि	देय अनुदान की राशि Grant	कुल देय राशि
पंचायती राज संस्थान (PRIs) (65%)	1914.94	1346.28	3261.22
शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) (35%)	1031.12	724.92	1756.04
कुल राशि	2946.06	2071.21	5017.26
पटना नगर निगम को स्पेशल पैकेज			200.00
कुल देय राशि			**5217.26**

परिशिष्ट–III

15वें वित्त आयोग से संबंधित सूचना

15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक के लिए अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को समर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा इस अनुशंसा को स्वीकार करते हुए Action Taken Report निर्गत किया गया। इस अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी Vertical 41 प्रतिशत की गई है। बिहार के लिए यह हिस्सेदारी Horizontally 10.058 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य के लिए अनुदान के रूप में अनुशंसित एवं प्राप्त राशि की विवरणी संलग्न चार्ट के अनुसार है।

15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान की राशि

क्र. सं.	मद			2021–22		2022–23	2023–24	2024–25	2025–26	कुल राशि 2021–26	
				अनुशंसित राशि	विमुक्त राशि	अनुशंसित राशि	अनुशंसित राशि	अनुशंसित राशि	अनुशंसित राशि	अनुशंसित राशि	विमुक्त राशि
1	ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	(क) अनाबद्ध (अनटाईड) अनुदान (40%)		1483.60	1483.60	1536.80	1553.60	1645.60	1604.80	7824.40	1483.60
		(ख) आबद्ध (टाईड) अनुदान (60%)		2225.40	1112.70	2305.20	2330.40	2468.40	2407.20	11736.60	1112.70
		कुल राशि (ग्रामीण निकाय)		3709.00	2596.30	3842.00	3884.00	4114.00	4012.00	19561.00	2596.30
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	(क) मिलियन प्लस शहरों के लिए अनुदान (पटना)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता	206.00		213.00	225.00	239.00	243.00	1126.00	0.00
			वायु गुणवत्ता	103.00		107.00	113.00	119.00	122.00	564.00	0.00
			कुल राशि	309.00		320.00	338.00	358.00	365.00	1690.00	0.00
		(ख) गैर मिलियन प्लस शहरों के लिए अनुदान	अनाबद्ध (अनटाईड) अनुदान (40%)	607.20	303.60	628.80	665.20	704.40	718.00	3323.60	303.60
			आबद्ध (टाईड) अनुदान (60%)	910.80	455.40	943.20	997.80	1056.60	1077.00	4985.40	455.40
			कुल राशि	1518.00	759.00	1572.00	1663.00	1761.00	1795.00	8309.00	759.00
		कुल राशि (शहरी निकाय)		1827.00	759.00	1892.00	2001.00	2119.00	2160.00	9999.00	759.00
3	स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान की राशि			5536.00	3355.30	5734.00	5885.00	6233.00	6172.00	29560.00	3355.30
4	स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु अनुदान	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचें के लिए सहायता	उप केन्द्र	157.11	157.10	157.11	164.96	173.21	182.02	834.41	157.10
			पीएचसी	172.79	172.79	172.79	181.42	190.50	200.22	917.72	172.79
			शहरी पीएचसी	43.20	27.41	43.20	45.36	47.63	50.01	229.40	27.41
		प्रखंड स्तरीय जन स्वास्थ्य ईकाईयां		49.47	49.47	49.47	51.94	54.54	57.27	262.69	49.47
		शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (UHWC)		185.43	185.43	185.43	194.71	204.44	214.66	984.67	185.43
		भवन रहित उप केन्द्र, पीएचसी, सीएचसी		329.29	329.29	329.29	345.60	363.00	381.10	1748.28	329.29
		ग्रामीण पीएचसी एवं उप केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना		195.81	194.81	195.81	205.60	215.88	226.68	1039.78	194.81
		कुल स्वास्थ्य अनुदान		1133.10	1116.31	1133.10	1189.59	1249.20	1311.96	6016.95	1116.31
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ)	केन्द्रांश (75%)		1416.00	1132.80	1487.00	1561.00	1639.00	1721.00	7824.00	1132.80
		State Share (25%)		472.00		496.00	520.00	546.00	574.00	2608.00	0.00
		कुल एसडीआरएमएफ		1416.00	1132.80	1487.00	1561.00	1639.00	1721.00	7824.00	1132.80
	कुल अनुदान (भारत सरकार से)			8085.10	5604.41	8354.10	8635.59	9121.20	9204.96	43400.95	5604.41

परिशिष्ट–IV

वित्त विभाग का वर्ष 2021–22 बजट अनुमान, वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

राजस्व भाग	मांग/ विनियोग सं०	मुख्य शीर्ष	मतदेय/ प्रभृत	2021–22 बजट अनुमान			2021–22 पुनरीक्षित अनुमान			2022–23 बजट अनुमान		
				राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (5+6)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (8+9)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (11+12)
अन्य राजकोषीय सेवाएं	12	2047	मतदेय		309.26	309.26		309.26	309.26		333.07	333.07
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	12	2048	प्रभृत		4.00	4.00		4.00	4.00		131102.80	131102.80
सचिवालय सामान्य सेवाएं	12	2052	मतदेय		11020.13	11020.13		11020.13	11020.13		11633.65	11633.65
खजाना तथा लेखा प्रशासन	12	2054	मतदेय	4000.00	11897.79	15897.79	4000.00	11897.79	15897.79	5000.00	12180.42	17180.42
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	12	2058	मतदेय		1570.93	1570.93		1570.93	1570.93		1471.84	1471.84
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	12	2070	मतदेय		1013.25	1013.25		1013.25	1013.25		1013.25	1013.25
सामान्य शिक्षा	12	2202	मतदेय	900.00		900.00	900.00		900.00	900.00		900.00
खेलकुद तथा युवा सेवाएं	12	2204	मतदेय		65.00	65.00		65.00	65.00		183.00	183.00
जोड़: राजस्व भाग			मतदेय	4900.00	25876.36	30776.36	4900.00	25876.36	30776.36	5900.00	26815.23	32715.23
			प्रभृत	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	131102.80	131102.80
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	12	4058	मतदेय	100.00		100.00	100.00		100.00	1000.00		1000.00
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12	4070	मतदेय	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1700.00		1700.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12	5475	मतदेय	5000.00	0.00	5000.00	5000.00		5000.00	1206.00		1206.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	12	6202	मतदेय	70000.00		70000.00	69000.00		69000.00	70000.00		70000.00
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	12	7610	मतदेय		4200.00	4200.00		4200.00	4200.00		4400.00	4400.00
जोड़: पूँजीगत भाग			मतदेय	75100.00	4200.00	79300.00	74100.00	4200.00	78300.00	73906.00	4400.00	78306.00
			प्रभृत									
कुल (राजस्व + पूँजीगत) वित्त विभाग:				80000.00	30080.36	110080.36	79000.00	30080.36	109080.36	79806.00	162318.03	242124.03

परिशिष्ट–V

सूद भुगतान, ऋण अदायगियाँ एवं पेंशन का वर्ष 2021–22 बजट अनुमान, वर्ष 2021–22 पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2022–23 का बजट अनुमान का सार

(राशि लाख में)

राजस्व भाग	मांग/ विनियोग सं०	मुख्य शीर्ष	मतदेय/ प्रभृत	2021–22 बजट अनुमान			2021–22 पुनरीक्षित अनुमान			2022–23 बजट अनुमान		
				राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (5+6)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (8+9)	राज्य स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	कुल योग (1+12)
ब्याज अदायगियाँ	13	2049	प्रभृत		1451740.78	1451740.78		1451740.78	1451740.78		1630503.46	1630503.46
कुल : सूद भुगतान				0.00	1451740.78	1451740.78	0.00	1451740.78	1451740.78	0.00	1630503.46	1630503.46
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	14	6003	प्रभृत		761320.54	761320.54		761320.54	761320.54		1292741.40	1292741.40
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	14	6004	प्रभृत		148122.71	148122.71		148122.71	148122.71		174261.85	174261.85
कुल : ऋण अदायगियाँ				0.00	909443.25	909443.25	0.00	909443.25	909443.25	0.00	1467003.25	1467003.25
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ	15	2071	मतदेय		2180296.63	2180296.63		2180296.63	2180296.63		2423385.14	2423385.14
			प्रभृत		1418.32	1418.32		1418.32	1418.32		1844.00	1844.00
कुल : पेंशन				0.00	2181714.95	2181714.95	0.00	2181714.95	2181714.95	0.00	2425229.14	2425229.14

बिहार सरकार

बिहार सरकार
वित्त विभाग

Conceptualized, Designed & Printed by:
punament@gmail.com